



2026:AHC:18093

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 42618/2025

रितिक

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण)	के	अधिवक्ता	:	अंकुश	शर्मा
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.					

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुल कुमार एवं श्री अंकुश शर्मा की ओर से पक्ष रखते हुए सुश्री नंदिनी, अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान एजीए श्री एस.के. राय को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 185/2024, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना गुलावठी, जिला बुलंदशहर में पंजीकृत प्रकरण में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनावश झूठा फँसाया गया है। गैंग चार्ट, जो परिशिष्ट संख्या-1 के रूप में संलग्न है, उसमें आवेदक के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विरुद्ध केवल एक ही आपराधिक मुकदमा दर्शाया गया है। गैंग चार्ट के अतिरिक्त एक अन्य मुकदमे का आपराधिक इतिहास भी आवेदक के विरुद्ध है।

4. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित गैंग की गतिविधियों में कोई सहयोग या दुष्प्रेरण नहीं किया है। उपरोक्त प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 30.05.2024 से जेल में निरुद्ध है, यह आश्वासन देता है कि जमानत मिलने पर वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में भारी संख्या में लंबित मामलों के कारण विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विरुद्ध अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकरण इंगित नहीं कर सके।

6. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि जमानत हेतु यह उपयुक्त प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

7. अभियुक्त-आवेदक रितिक को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए—

(i) आवेदक किसी भी व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़-छाड़ करे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) वाद के आरंभ, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, उस दिन वह साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है, तो यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे प्रकरण के गुण-दोष पर अभिमत के रूप में नहीं लिया जाएगा। विचारण न्यायालय साक्षियों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा, और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

22 जनवरी, 2026

विभा सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।